अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 1

न्यायालय उपायुक्त, रॉंची

अधिहरण वाद सं० 32 आर० 28/2022–23

राज्य

बनाम

नरेश कुमार पिता जीवलाल महतो निवासी केदला बस्ती, जिला रामगढ, (झारखण्ड) .... विपक्षी

03
02.05.2023

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, नगर, राँची के ज्ञापांक सं0 9192/अप०शा० दिनांक 30.12.2022 द्वारा धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं0–195/22, दिनांक 27.07.2022 धारा–414 भा० द०वि० एवं 4/21, MMDR Act, 4/54 JMCC Act एवं 7/11/13 Jharkhand mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rule 2017 में जप्त वाहन संख्या JH 02AT-5285 को राजसात की कार्रवाई करने हेतु अग्रसारित अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक नगर, राँची से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार – धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं0–195/22 के सूचक विश्वनाथ उरांव, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता स्व० भीखा उरांव, साकिन उत्तरी पोस्ट नगडा, थाना माण्डर जिला राँची वर्त्तमान खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, राँची के कम्प्यूटरीकृत टंकित आवेदन के आधार पर हाईवा वाहन सं० JH 02AT 5285 के चालक एवं मालिक के विरुद्ध अवैध रूप से बालू का खनन करने के आरोप लगाते हुए धुर्वा (तुपुदाना ओ०पी०) थाना कांड सं० 195/2022. दिनांक 27.07.2022, धारा 414 भा०द०वि0 – 4/21 of MMDR Act 4 /54 of JMMC Act and 7/11/13 of the Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rule] 2017 दर्ज कराया गया है। अब तक अनुसंधान, वादी एवं गवाहों के बयान, घटनास्थल के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक महोदय नगर, राँची के प्रतिवेदन–2 से यह कांड धारा 414 भा०द०वि0 – 4/21 of

अनुसूची 14 – फा

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर क कारवाई के बा टिप्पणी, तारीख साथ।
1	2	3

MMDR Act 4 /54 of JMMC Act and 7/11/13 of the Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rule] 2017 के अन्तर्गत हाईवा वाहन सं० JH 02AT 5285 के चालक एवं मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है। जप्त हाईवा वाहन सं० JH 02AT 5285 के मालिक नरेश कुमार माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, राँची के न्यायालय में आत्मसर्मपण कर दिनांक 03.12.2022 को जमानत में मुक्त है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त जप्त वाहनो के राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – विपक्षी द्वारा उपरोक्त वाहन को मुक्त करने के प्रार्थना के साथ विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में एम०सी०ए० वाद 7661/2022 दायर किया था, परन्तु प्रस्तुत कार्रवाही के लंबित रहने के कारण उसे विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उपरोक्त वाहन थाने मे बिना उचित देख भाल के खड़ा है तथा यदि जप्त वाहन को मुक्त नही किया गया तो खुले आसमान के नीचे खड़े उक्त वाहन को धूप और बारिश के कारण क्षति पहुँचने की प्रबल संभावना है। इस संबंध मे सुंदरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी मामले मे वाहन को मुक्त कर देना चाहिए क्योंकि वाहन राष्ट्रीय सम्पत्ति है तथा उसे नष्ट नही होने देना चाहिए।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहनो मे बालू (लघु खनिज) के अवैध परिवहन से सरकारी राजस्व को क्षति पहुँची है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण निर्देशानुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक नदी तल से बालू की अवैध निकासी करना प्रतिबंधित रहता है तथा उपरोक्त बालू (लघु खनिज) के अवैध उत्खनन, परिवहन, संग्रहण एवं बिक्री से सरकारी राजस्व को गंभीर क्षति पहुँची है। विपक्षी यह साबित करने में विफल रहे है कि उपरोक्त परिवहन उनके जानकारी के बगैर किया गया

...ा का क्रम ... और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

है तथा लघु खनिज के अवैध परिवहन मे उनकी संलिप्तता नही है।

अतः पुलिस अधीक्षक नगर, रॉची द्वारा अग्रसारित अनुशंसा के आधार पर धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं0—195 / 22, दिनांक 27.07. 2022 में जप्त वाहन संख्या JH 02AT-5285 को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक नगर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखपित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:13:15 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9